

अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40-INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	36,85,00		
पूरक	Supplementary	14,09,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	50,94,00	50,80,75	-13,25
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1243,70,00		
पूरक	Supplementary	610,25,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1853,95,00	1819,52,82	-34,42,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2,95,00		
पूरक	Supplementary	29,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	3,24,00	2,16,08	-1,07,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,07,90

Notes and comments

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Head Major Head "2016" Audit			
मू.	O.	124370.00	182645.00	181952.82
पू.	S.	61025.00		
पु.	R.	-2750.00		
				-692.18

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय" -

(A) "Civil Audit and Accounts Offices" -

(क) "सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय" - 57663.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 28228.47 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 85891.47 लाख रु. कर दिया गया, तथापि जो 2303.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(a) "Civil Audit Offices" - the original provision of Rs.57663.00 lakhs was augmented to Rs.85891.47 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.28228.47 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2303.73 lakhs;

(ख) "सिविल लेखा कार्यालय" - 47287.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24023.39 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 71310.39 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 2021.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(b) "Civil Accounts Offices" - the original provision of Rs.47287.00 lakhs was augmented to Rs.71310.39 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24023.39 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2021.02 lakhs; and

(खा) "समुद्रपार लेखा परीक्षा कार्यालय" - 904.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 224.95 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1128.95 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 35.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Overseas Audit Offices" - the original provision of Rs.904.00 lakhs was augmented to Rs.1128.95 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.224.95 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.28 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन का बकाया, बोनस, मकान किराया भत्ता, कंप्यूटर के वार्षिक रख-रखाव संविदा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और चिकित्सा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards arrear of pay, bonus, HRA, annual maintenance contract of computer and non- submission of medical bills.

(गा) “अन्य व्यय - विभागीय कैटीन” - 530.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 247.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 777.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 68.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय” - 441.58 लाख रु. का अधिक व्यय (3250.11 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 9595.11 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दैनिक मजदूरी दरों, वेतन और भत्तों, बिजली, पानी और मुद्रण प्रभारों में वृद्धि होने और माड्यूलर फर्नीचर, स्टाफ कार की खरीद करने और किरायों में संशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय” - 121.27 लाख रु. का अधिक व्यय (584.05 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3430.05 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) “वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय” - 376.82 लाख रु. का अधिक व्यय (2424.45 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6995.45 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दैनिक मजदूरी की दरों, वेतन और भत्तों, बिजली और पानी के प्रभारों में वृद्धि होने के कारण हुईं।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 63.40 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (107.92 लाख रु.) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 29.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

(C) “Other Expenditure – Departmental Canteen” - the original provision of Rs.530.00 lakhs was augmented to Rs.777.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.247.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.68.12 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds for implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(A) “Railway Audit Offices” - excess of Rs.441.58 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.9595.11 lakhs including supplementary grant of Rs.3250.11 lakhs) was due to increase in daily wages rates, pay and allowances, electricity, water and printing charges and purchase of modular furniture, staff car and revision of rents.

(B) “Defence Audit Offices” – excess of Rs.121.27 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3430.05 lakhs including supplementary grant of Rs.584.05 lakhs); and

(C) “Commercial Audit Offices” - excess of Rs.376.82 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6995.45 lakhs including supplementary grant of Rs.2424.45 lakhs).

Savings under the above two heads were due to increase in daily wages rates, pay and allowances, electricity and water charges.

(II) Under one head excess of Rs.63.40 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.107.92 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.29.00 lakhs obtained in February, 2009 and constituted 33 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	10.00		
पू.	S.	29.00	170.32	170.31
पु.	R.	131.32		-0.01
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	285.00	45.78	45.77
पु.	R.	-239.22		-0.01

(I) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय स्कीम - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" - 239.23 लाख रु. की बचत (285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुवाहाटी भूमि के संबंध में आज्ञापित अदायगियों के लिए कम मांग होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Housing Schemes for employees of IA&AD - Acquisition of ready built flats" - saving of Rs.239.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.285.00 lakhs) was due to no demand for decretal payments on accounts of Guwahati land.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 131.31 लाख रु. का अधिक व्यय (29.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 39.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा मुंबई में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास भवन के निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4059" - "Office Buildings- Other Expenditure - Acquisition of ready built Accommodation" - excess of Rs.131.31 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.39.00 lakhs including supplementary grant of Rs.29.00 lakhs) was due to additional demand by Mumbai Mahanagar Regional Development Authority for construction work of Regional Training Institute and Hostel Building at Mumbai.